ग्राम पंचायत बरवाला, विकास खण्ड धर्मशाला जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016
भाग–एक

1 (क) प्रस्तावनाः–

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बरवाला, विकास खण्ड धर्मशाला जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत्त थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती इन्द्रा देवी	24.1.10 से 23.1.16
2	श्री कर्मचन्द	24.1.16 से अद्यतन

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री शशी भूषण	01.04.13 से 05.09.13
2	श्री तिलक राज	05.09.13 से 25.11.13
3	श्री राजेश कुमार	25.11.13 से 24.04.14
4	श्री बलविन्द्र वालिया	24.04.14 से 01.01.15
5	श्री विजय राणा	01.01.15 से अद्यतन

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत बरबाला के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का सार	राशि (लाखों में)
1	08	पंचायत राजस्व की शेष वसूली	1.04
2	09	अनुदान राशि का अवरोधन	2.17
3	10	औपचारिकताओं के पूर्ण किए बिना क्रय करना	2.35
4	11	क्रय की गई सामग्री का भण्डारण न करना	4.20

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत बरबाला, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विरेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 17.1.2017 से 21.1.2017 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 01/14, 1/15 व 10/15 तथा 6/13, 03/15 व 9/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत बरबाला, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 34 दिनांक 21.1.17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बरबाला, से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत बरबाला द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः–

(4.1) स्वः स्त्रोत व अनुदानः– ग्राम पंचायत बरबाला के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 तक स्वः स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का विवरण परिशिष्ट (क) व (ख) के अनुसार निम्न प्रकार से हैः–

(क) स्वः स्त्रोत

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	67483	23141	8913	99537	12390	87147
2014–15	87147	6282	9062	102491	8339	94152
2015–16	94152	14345	27490	135987	46280	89707

(ख) अनुदानः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	625913	4935366	13611	5574890	5270409	304481
2014–15	304481	5397762	6685	5708928	4568244	1140684
2015–16	1140684	5779285	6956	6926925	6709837	217088
				(क)+(ख) का कुल योग		₹ 306795

दिनांक 31.3.2016 को बैंक में जमा राशि का विवरणः–

क्रमांक	बैंक का नाम	खाता सं0	राशि
1	के0सी0सी0 बैंक योल	20121009723	45718
2	सी0बी0आई0 योल	3456260822	76867
3	सी0बी0आई0 योल	3017399163	179137
4	सी0बी0आई0 योल	1017412187	1721
5	भारतीय स्टेट बैंक, नगरोटा बगवां	302035	2471
6	हस्तगत राशि		516
	योग		₹306430

अन्तशेष का विवरणः–

(क) दिनांक 31.3.16 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष ₹306795

(ख) दिनांक 31.3.16 को बैंक में कुल जमा राशि ₹306430

4.2 उपरोक्त वर्णित वित्तीय स्थिति के अनुसार रोकड़वही व बैंक पासबुक में दिनांक 31.03.2016 को ₹365 का अन्तर था जिसका समाधान किया जाये अन्यथा बैंक में कम जमा इस राशि की वसूली उचित स्त्रोत से कर के खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये। इसके अतिरिक्त नियमानुसार बैंक बचत खातों का खोला जाना सुनिश्चित किया जाए क्योंकि वर्तमान में पंचायत के अभिलेखानुसार 5 (पाँच) बचत खाते खोले गए है।

5.1 रोकड़वही का बैंक खाते से मिलान न करनाः–

रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खाते का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5.2 खाता "ख" में अर्जित ₹0.27 लाख के ब्याज को खाता "क" में अन्तरित न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता ख में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्व संसाधनों के खाता क में आन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत बरबाला के बैंक खातों की जांच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है निम्न तालिका के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹27252 खाता ख से सम्बंधित बचत खातों मे ब्याज के रुप में अर्जित किये गए थे जिन्हें उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता क में अन्तरित नहीं किया गया था। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अब तक खाता, के समस्त बैंक खातों मे अर्जित ब्याज को तुरन्त खाता क में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

माह/वर्ष	कुल ब्याज ₹
2013–14	13611
2014–15	6685
2015–16	6956
कुल योग	**27252**

5.3 वर्गीकृत सार को तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए, एक भाग आय के लिए तथा दूसरा व्यय के लिए दो भागों में तैयार किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जायेगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय व व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति को तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

6 सावधि जमा योजना में निवेश न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत

बरबाला द्वारा अंकेक्षणावधि के दौरान कोई भी निवेश सावधि जमा योजना में नही किया गया था जबकि वितीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास अंकेक्षण अवधि के दौरान प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा नियमानुसार निवेश रजिस्टर का रखरखाव भी सुनिश्चित किया जाए।

7 बजट प्राक्कलन तैयार न करनाः–

हि0प्र0 पंचायत राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–II में पंचायत की आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 पंचायत राजस्व की ₹1.04 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

पंचायत सचिव ग्राम पंचायत बरबाला द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा पंचायत की स्वः स्त्रोतो से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2016 को पंचायत राजस्व की ₹104335 वसूली हेतु शेष थी।

(क) गृहकरः–

क्र0 सं0	वर्ष	अथशेष	वर्ष के दौरान मांग	योग	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	अन्तिम शेष
1	2013–14	63630	21210	84840	–	84840
2	2014–15	84840	21210	106050	–	106050
3	2015–16	106050	21210	127260	22925	104335

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

9 अनुदान की ₹2.17 लाख का अवरोधनः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹217088 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के

दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2.35 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताऐं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–(ग)** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹235446 के रेत, बजरी, व अन्य निर्माण सामग्री का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना क्रय गई सामग्री का औचित्य स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 क्रय की गई ₹4.20 लाख की निर्माण व लेखन सामग्री इत्यादि को भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय की गई निर्माण सामग्री का भण्डार इन्द्राज स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरुप फार्म 25, 26, 27, व 28 में किया जाना अपेक्षित था, परन्तु पंचायत के अवधि 4/13 से 3/16 तक के दौरान **परिशिष्ट–(घ)** पर वर्णित क्रय की गई ₹419702 की निर्माण सामग्री, सीमेंट व अन्य लेखन सामग्री को क्रय के उपरान्त न तो भण्डार रजिस्टर पर दर्ज किया गया न ही इसका आगामी निपटारा किया गया जिसका कारण स्पष्ट करते हुए अविलम्ब समस्त क्रय किये गये सीमेंट व निर्माण सामग्री को भण्डार रजिस्टर पर दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

12 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन

नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख
1	गृहकर मांग व प्राप्ति रजिस्टर
2	शराब शुल्क प्राप्ति रजिस्टर
3	चल–अचल सम्पत्ति रजिस्टर
4	निर्माण कार्य रजिस्टर
5	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
6	रसीदों का स्टॉक रजिस्टर
7	विकास निष्पादन रजिस्टर
8	अग्रिम रजिस्टर

14 अनुदानों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न स्त्रोंतों से प्राप्त अनुदानो के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण अवधि के दौरान जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणामस्वरुप अवधि के दौरान व्यय की गई अनुदानों की राशि की सत्यता की जांच नही की जा सकी। अत। अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय समस्त अनुदानों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को आगामी अंकेक्षण पर दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

15 अभिलेख प्रस्तुत न करनें बारेः–

निम्नविवरणानुसार अभिलेख को अंकेक्षण अवधि के दौरान जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया, अंकेक्षण अवधि के दौरान अभिलेख को जांच हेतु प्रस्तुत न करना एक गम्भीर अनियमितता एवं लापरवाही का मामला हैं। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा आगामी अकेंक्षण पर इस अभिलेख को जांच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	अभिलेख का विवरण	माह/वर्ष	टिप्पणी
1	प्राप्ति रसीदें	1/14, 1/15 व 10/15	उक्त मासों की रसीदें प्रस्तुत नहीं की गई
2	बाउचर नस्ति (मनरेगा)	3/15	
3	बाउचर नस्ति (अनुदान)	6/13	

(ख) इसके अतिरिक्त सभा निधि से सम्बंधित बाउचर संख्याः 87, ₹1842 दिनांक 24.09.2015 को भी अंकेक्षण अवधि के दौरान जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसका कारण स्पष्ट करते हुए आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा ₹1842 का प्रतिपूर्ति उचित माध्यम से करके सभा निधि में जमा करवा कर अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

16 लघु आपत्ति विवरणिकाः—यह अलग से जारी नहीं की गई है।

17 निष्कर्षः— लेखों के रख रखाव व नियमों की अनुपालना में अत्याधिक सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0 0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 108/2017—खण्ड—1—4165—4168 दिनाँक 07— 07—2017
शिमला—171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत
1 सचिव, ग्राम पंचायत बरबाला, विकास खण्ड धर्मशाला जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मशाला जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0 0177—2620881